न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरसिंह वगैरा बनाम गिर्राज प्रसाद वगैरा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरसिंह वगैरा बनाम गिर्राज प्रसाद वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में पेश कर रखा है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहुत ही राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। जो कि प्रकरण का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सिकराय से मिलकर अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है। प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण ने कहा है कि उपखण्ड अधिकारी से हमारी बातचीत हो गई है। अब हम इस प्रकरण को अपने पक्ष में फैसला करवाकर रहेंगे। उपखण्ड अधिकारी सिकराय भी इस प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयां दे रहे है। प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय मिलने की सम्भावना दिखाई नहीं दे रही है और जहां पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो वहां पर मुकदमे की सुनवाई करवाया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने से पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है उसमें अंकित सभी चरण अस्वीकार है तथा बेबुनियाद आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे की पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही पर कोई आक्षेप लगता हो। मात्र कपोल कल्पित, मनगढन्त कहानी के आधार पर न्याय न मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण साक्ष्य के अभाव में खारिज फरमाया जावे। हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय की तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई किया जाना व्यक्त किया गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश होना व्यक्त किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होना व्यक्त करते हुये यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 265/2022 दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरसिंह वगैरा बनाम गिर्राज प्रसाद वगैरा एवं मुकदमा संख्या 171/2022 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरसिंह वगैरा बनाम गिर्राज प्रसाद वगैरा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 17.07.2023 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाना सुनिश्चित करे। उभपक्षकारान दिनांक 17.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। उपखण्ड अधिकारी सिकराय एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश कुमार) अति. जिला कलक्टर ,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official